

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर-235103000142011

व्यवहार वाद क्र.-5ए/16

संस्थापित दिनांक-12.09.2011

1.शेख एनउद्दीन पुत्र शमसुद्दीन आयु 70 साल जाति मुसलमान धंधा पेंशनर निवासी मोहल्ला कुलयाना (पसियापुरा) चंदेरी जिला अशोकनगर। <div>.....वादी</div>
<b>विरुद्ध</b>
1.नन्हें पुत्र अमीनमुल्ला आयु 41 साल जाति मुसलमान धंधा साडी बुनाई निवासी कुलयाना (पसियापुरा) चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.। <div>.....प्रतिवादी</div>
2.श्रीमान मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका चंदेरी जिला अशोकनगर।
3.फरीदउद्दीन पुत्र समशुद्दीन मुसलमान
4.शकीलउद्दीन पुत्र हवीव उद्दीन मुसलमान निवासीगण पसियापुरा चंदेरी जिला अशोकनगर
5.शाहिदा वानो पत्नी लतीफ खां मुसलमान निवासी मैदान गली चंदेरी
6.जाहिदा वानो पत्नी शरीफ खां मुसलमान निवासी चकला बाबडी के पास चंदेरी
7.छोटीबाई पत्नी जमील कुरैशी मुसलमान थाने के पास कोलारस जिला शिवपुरी म0प्र0। <div>..... फोरमल प्रतिवादीगण</div>

8.अब्दुल शमीम पुत्र अब्दुल अमीन मुल्ला निवासी कुलयाना मोहल्ला, वार्ड क्रमांक 2 चंदेरी म0प्र0।

.....प्रतिवादी

वादी द्वारा श्री मिर्जा अधिवक्ता।

प्रतिवादी द्वारा श्री गौरव जैन अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 7 पूर्व से एकपक्षीय।

— / / निर्णय / / —

**(आज दिनांक 20.07.2017 को घोषित)**

01. वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध चंदेरी स्थित कुलयाना (पसियापुरा) वार्ड क्रमांक 2 भवन क्रमांक 485 में विवादित भागों की स्वत्व घोषणा तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा किए गए अवैध निर्माण को तुड़वा कर नीचे की जमीन का कब्जा वापस दिलाये जाने, प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा बनाए गए रसोईघर को तुड़वाये जाने एवं प्रतिवादी द्वारा अवैध रूप से लगाए गए पत्थरों को तोड़े जाने तथा गड्डों को बंद करवाये जाने बाबत प्रस्तुत किया है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के अनुसार उक्त मकान में पूर्व दिशा की तरफ प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा अवैध रूप से वादी के भवन की दीवार खोदकर लगाए गए पत्थर के जीना एवं पूर्व दिशा में स्थित वादी की संडाश की दीवार पर अवैध रूप से बनाई गई दीवार और उस दीवार में दूसरी मंजिल में अवैध रूप से दरवाजा निकाला गया है जिसके कारण संडाश की बेपर्दगी हो रही है तथा भवन के उत्तर दिशा में स्थित वादी के चबूतरे पर अवैध रूप से किया कब्जा संडाश के बगल के तोड़ों के नीचे की जमीन पर अवैध रूप से किचिन का निर्माण किया गया है एवं वादी की दीवार खोदकर उसमें

अवैध रूप से तीन पत्थर के तोड़े लगाए गए हैं।

04. वादी के अनुसार उक्त मकान पुश्तैनी है और कागजातों में वादी के पिता शमसुददीन के नाम पर दर्ज है। वादी के अनुसार उसके मकान की पूर्व दिशा में प्रतिवादी क्रमांक 01 नन्हें का मकान है जो पुश्तैनी नहीं है और जो उसे दहेज में मिला था। वादी ने अपने वादपत्र में अभिवचित किया है कि दिनांक 04.08.2011 को वादी के मकान में प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा दीवार खोदकर अवैध रूप से जीने के पत्थर लगा लिए गए तथा मकान के पूर्व दिशा की ओर वादी के भवन से लगी संडाश की दीवार पर अवैध रूप से दीवार बना ली गई और दूसरी मंजिल में दरवाजा निकाल लिया गया जिससे वादी की संडाश की बेपर्दगी हो रही है तथा वादी के मकान में उत्तर दिशा की ओर वादी के चबूतरे पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है एवं उस पर अवैध रूप से रसोईघर बना लिया गया है। वादी के अनुसार उसने लिखित रिपोर्ट थाना चंदेरी में की थी तथा नगर पालिका चंदेरी में आवेदन भी दिया था, किंतु प्रतिवादी क्रमांक 01 नहीं माना और निर्माण कार्य करने लगा, जिस पर प्रतिवादी को समझाईश भी दी गई, किंतु वह अवैध निर्माण कार्य कर रहा है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादी ने इस आशय की डिक्री चाही है कि उक्त मकान के विवादित भागों पर स्वत्व घोषणा की जावे और साथ ही प्रतिवादी द्वारा किए गए अवैध निर्माण को तुड़वाया जावे एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

05. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी के अनुसार वादी के भवन के उत्तर दिशा में वादी का कोई चबूतरा नहीं है तथा वह प्रतिवादी के भवन पर आने जाने का रास्ता है। प्रतिवादी के अनुसार उसने वादी के किसी भी चबूतरे पर कोई कब्जा नहीं किया तथा प्रतिवादी की जो खुली छत है उस पर

उसने अपना चूल्हा रख लिया है एवं उसने किसी भी भूमि पर किचिन का निर्माण कार्य नहीं किया है। प्रतिवादी के अनुसार वादी ने प्रकरण में शमशुददीन के वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि वे आवश्यक पक्षकार हैं। प्रतिवादी के अनुसार वादी ने द्वेष पूर्वक अकारण ही वाद प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का अभिवचन किया गया है।

06. वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :-

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादी कस्बा चंदेरी के मोहल्ला कुलयाना (पसियापुरा) वार्ड क्रमांक 02 में स्थित भवन क्रमांक 485 में वादग्रस्त भागों का स्वत्वाधिकारी है ?	“नहीं”
02.	क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा भवन क्रमांक 485 में अवैध रूप से पत्थर के जीने संडास की दीवार पर और इस दीवार में दूसरी मंजिल पर दरवाजा बनाकर तथा चबूतरा एवं तोड़ों के नीचे की जमीन एवं उसके बगल के तोड़ों की नीचे की जमीन किचिन (रसोईघर) के उपर दीवार को खोदकर तीन पत्थर लगाकर अवैध रूप से निर्माण कार्य कर अपने कब्जे में ले लिया ?	“नहीं”
03.	क्या वादी प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा कराये गए उक्त अवैध निर्माण को तुड़वाकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है ?	“नहीं”

04.	क्या वादी ने आवश्यक पक्षकारों का दावे में संयोजन किया है ?	“नहीं”
05.	सहायता एवं व्यय ?	“निर्णयानुसार वादी का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया गया।”

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

07. वादी ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 शेख कफील, वा.सा. 02 शेख अंसार, वा.सा. 03 शेख एनउददीन, वा.सा. 04 श्रीराम तिवारी की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही भवन क्रमांक 485 की नगरपालिका में प्रविष्टि प्रपी 01, नगर पालिका चंदेरी का प्रमाण पत्र प्रपी 02, थाना चंदेरी में दिया गया आवेदन पत्र प्रपी 03 एवं नगर पालिका चंदेरी को दिया गया आवेदन पत्र प्रपी 04 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 नन्हें, प्र.सा. 02 दिलीप सिंह, प्र.सा. 03 शाजिद की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रडी 01 लगायत प्रडी 04 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं।

08. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 04 एवं 05 का निराकरण पृथक-पृथक से किया जा रहा है।

**—:: वादप्रश्न क्र. 01 लगायत 03 ::—**

09. वा.सा. 03 शेख एनउददीन ने अपने कथन में बताया है कि उक्त मकान उसके पिताजी के नाम पर दर्ज है तथा आपसी बंटवारे के अनुसार सभी भाई अपने-अपने हिस्से पर काबिज हैं। उक्त साक्षी के अनुसार प्रतिवादी द्वारा उत्तर दिशा में उसके चबूतरे पर कब्जा कर लिया गया है और अवैध रूप से रसोई बना ली गई है तथा किचिन के उपर उसके मकान की दीवार को खोदकर उसमें पत्थर के तोड़े लगा लिए गए हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उसने अपने भाइयों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। उक्त साक्षी के अनुसार प्रतिवादी ने उसके मकान से लगकर जीना निकाला है। वा.सा. 01 शेख कफील तथा वा.सा. 02 शेख अंसार ने अपने कथन में बताया है कि वे वादी को जानते हैं। उक्त साक्षीगण के अनुसार उनका मकान वादी के मकान के पड़ोस में है। वा.सा. 01 एवं वा.सा. 02 के अनुसार प्रतिवादी ने वादी के मकान की दीवार को खोदकर उसमें जीना लगा दिया है और संडास की दीवार पर दीवार बना ली है तथा दूसरी मंजिल पर दरवाजा निकाल लिया है एवं चबूतरे पर जबरन कब्जा करके बगल की जमीन पर रसोई बना ली है। वा.सा. 01 एवं वा.सा. 02 ने अपने कथन में बताया है कि वादी उनका रिश्तेदार है। वा.सा. 01 के अनुसार वादी उसका चाचा है। वा.सा. 01 के अनुसार उसके समक्ष कोई विवाद नहीं हुआ और इस बात को स्वीकार किया है कि वादी एवं प्रतिवादी के मकान अलग-अलग बने हुए हैं।

10. वा.सा. 04 श्रीराम तिवारी ने अपने कथन में बताया है कि उसने प्रकरण में विवादित स्थल का स्थल निरीक्षण किया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया था। उक्त साक्षी के अनुसार वादी के संडास की दीवार पर दीवार बनाकर कोई दरवाजा नहीं निकला है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि तोड़ों के नीचे जमीन पर किचिन नहीं बनाई गई है। प्र.सा. 01 नन्हें ने अपने कथन में बताया है कि वादी ने गलत आधारों पर वाद प्रस्तुत किया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने

कोई अवैध निर्माण कार्य नहीं किया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने कोई पत्थर के तोड़े नहीं लगाए। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि उसने जीना अपनी दीवार पर एनउददीन की दीवार से अलग हटकर लगाया है। उक्त साक्षी के अनुसार एनउददीन की कच्ची संडास उसकी दीवार के पीछे बनी है। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसने जो संडास बनाई है वह एनउददीन की दीवार पर बनाई है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने जो गडडा खोदा है उसका पानी एनउददीन के घर में जाता है।

11. प्र.सा. 02 दिलीप सिंह एवं प्र.सा. 03 शाजिद ने अपने कथन में बताया है कि नन्हें ने जो मकान बनाया है वह अपनी भूमि में बनाया है। उक्त साक्षीगण के अनुसार प्रतिवादी ने वादी की भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया तथा प्रतिवादी ने वादी की कोई भी दीवार नहीं खोदी। प्र.सा. 02 के अनुसार प्रतिवादी ने स्वयं की दीवार में जीना लगाया है। प्र.सा. 02 के अनुसार नन्हें ने अपने मकान में कोई रसोईघर नहीं बनाया है। प्र.सा. 03 के अनुसार नन्हें खाना छत पर और कमरे में बनाता है। प्र.सा. 03 ने अपने कथन में बताया है कि नन्हें जो गडडा खुदवाया है वह एनउददीन के मकान के पास में खुदवाया है, किंतु वह पक्का है उससे कोई क्षति नहीं हो रही है।

12. वादी और प्रतिवादी ने जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि वा.सा. 01 एवं वा.सा. 02 वादी के रिश्तेदार हैं और इस प्रकार उनके द्वारा वादी के पक्ष में कथन दिया गया है। जहां तक वादी वा.सा. 03 की साक्ष्य का प्रश्न है तो उक्त साक्षी ने अपने वादपत्र के अनुसार कथन किए हैं। प्रतिवादी की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर आई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रतिवादी ने वादी के साक्ष्य के खंडन में कथन किए हैं तथा प्रतिवादी की ओर से जो स्वतंत्र साक्षी प्र.सा. 02 एवं प्र.सा. 03 अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं उन्होंने प्रतिवादी के पक्ष में कथन करते हुए वादी

की साक्ष्य का खंडन किया है। उल्लेखनीय है कि वादी एवं प्रतिवादी की उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष देना कि प्रतिवादी द्वारा वादी के मकान के भाग पर कब्जा कर निर्माण कार्य किया गया है, समीचीन प्रतीत नहीं होता। उल्लेखनीय है कि न्यायालय द्वारा उपरोक्त विवादित स्थल के स्थल निरीक्षण हेतु कमिश्नर जारी किया गया था तथा कमिश्नर द्वारा अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। उक्त कमिश्नर को वा.सा. 04 के रूप में वादी द्वारा प्रतिपरीक्षण भी किया गया है। उपरोक्त कमिश्नर की रिपोर्ट का अवलोकन करना उचित होगा जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि क्या प्रतिवादी द्वारा वादी के मकान के भाग पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है।

13. कमिश्नर वा.सा. 04 जिसकी साक्ष्य आदेश 26 नियम 10 के अंतर्गत अंकित की गई है उसने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रपी 05 की रिपोर्ट तैयार की गई थी। प्रपी 05 की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त रिपोर्ट में कमिश्नर ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि प्रतिवादी द्वारा वादी के मकान की दीवार को नहीं तोड़ा गया, प्रतिवादी द्वारा कोई दरवाजा नहीं निकाला गया, प्रतिवादी द्वारा वादी के मकान की दीवार को तोड़कर कोई तोड़े नहीं लगाए गए, प्रतिवादी द्वारा तोड़ों के नीचे जमीन पर कोई किचिन नहीं बनाई गई तथा प्रतिवादी द्वारा वादी के मकान के पास कोई गडडा नहीं खोदा गया और इस प्रकार वादी के मकान को कोई क्षति नहीं हो रही। प्रपी 05 की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने जो तथ्य अपने वादपत्र में अभिवचित किए हैं उनमें से एक भी तथ्य प्रपी 05 की रिपोर्ट से प्रमाणित नहीं हो रहा है। रिपोर्ट तैयार करने वाले कमिश्नर के प्रतिपरीक्षण के दौरान भी ऐसा कोई विरोधाभास अभिलेख पर नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि प्रतिवादी द्वारा वादी के मकान के भाग पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया गया है या वादी के मकान को क्षति पहुंचाई गई है। प्रपी 03 एवं प्रपी 04 वादी द्वारा दिए गए शिकायती आवेदन पत्र की प्रतियां हैं। प्रतिवादी ने पंचनामा प्रडी 03



अभिलेख पर प्रस्तुत किया है जिसमें स्थल निरीक्षण किए जाने का उल्लेख है जिस पर प्रतिवादी ने अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं।

14. वा.सा. 04 ने भी प्रपी 03 के पंचनामे को प्रमाणित करते हुए उसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। इस प्रकार यह प्रमाणित हो रहा है कि वा.सा. 04 ने विवादित स्थल का निरीक्षण किया था और स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की थी। अभिलेख पर आई हुई उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा वादी के मकान के भाग पर कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया और न ही कोई निर्माण कार्य किया गया। किसी भी प्रकरण में वादी को अपना वाद प्रमाणित करने का भार होता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी उपरोक्त बिंदु प्रमाणित करने में असफल रहा है। वादी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि वादी वादग्रस्त भागों का स्वत्वाधिकारी है और न ही यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी द्वारा अवैध रूप से दरवाजा बनाया गया तथा यह भी प्रमाणित नहीं होता कि प्रतिवादी द्वारा चबूतरे एवं तोड़ों के नीचे की जमीन एवं उसके बगल के तोड़ों के नीचे की जमीन पर रसोईघर का अवैध रूप से निर्माण कार्य किया गया है। इस प्रकार वादी निर्माण कार्य को तुड़वाकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 नकारात्मक निर्णीत किए जाते हैं।

—:: वादप्रश्न क्रं.-04 ::—

15. वादी ने प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा एवं अवैध निर्माण तुड़वाये जाने बाबत प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय है कि वादी साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त मकान वादी के पिता का था जिस पर उसके सभी वारिसानों का अधिकार है। वादी की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त मकान के संबंध में बंटवारा कब हुआ। यदि यह मान भी लिया जाए कि वादी के मकान का बंटवारा हो गया है तब भी वादी ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया है कि

उसका मकान के किस भाग पर कब्जा है और इस प्रकार उक्त मकान पर वादी के पिता के सभी वारिसानों का अधिकार है। उल्लेखनीय है कि वादी ने स्वत्व द गौषणा बाबत वाद प्रस्तुत किया है, किंतु ऐसी दशा में जबकि उक्त मकान पर स्वत्व के संबंध में सभी वारिसानों का अधिकार है तो सभी वारिसानों की ओर से वाद प्रस्तुत किया जाना था जिसका कि प्रकरण में अभाव है। इस प्रकार वादी ने प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों का संयोजन नहीं किया है जिसके आधार पर वादी का वाद निरस्ती योग्य है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 04 नकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्रं.-05 ::—

16. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः वादी का वाद अस्वीकार कर सब्यय निरस्त किया जाता है।

17. वाद का संपूर्ण व्यय वादी द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज़फ़र इकबाल)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
चंदेरी, जिला अशोकनगर

(ज़फ़र इकबाल)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
चंदेरी, जिला अशोकनगर